फर्द अहकाम

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी मावली, जिला उदयपुर

प्रार्थी :– श्री मोहन उर्फ मोवन | विपक्षी :– हीरालाल

किस्म मुकदमा – 128 भू.रा.अधि. | पत्रावली संख्या : 41/19

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई

दिनांक 05.12.2019

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान उपस्थित। अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा पत्थरगढी किया जाने पर सहमति जाहिर की।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों पर मनन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। विपक्षी सं. 10, 12, 13, 21, 36, 39, 44 द्वारा प्रकरण में पत्थरगढी किया जाने पर सहमति जाहिर की। विपक्षी सं. 24, 26 से 29, 31, 33 की ओर से अधिवक्ता श्री प्रहलादसिंह राणावत द्वारा पत्थरगढी किया जाने पर कोई आपत्ति जाहिर नहीं की। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा विपक्षी सं. 14, 16, 17, 18, 45, 54, 58, 60 के विरूद्व कोई कार्यवाही नहीं चाहने से इनके विरूद्व कार्यवाही को ड्रॉप किया जाने का निवेदन किया। प्रार्थनाग्रस्त भूमि के प्रार्थी खातेदार है, विपक्षीगण प्रार्थनाग्रस्त भूमि के पडोसी खातेदार है। प्रार्थनाग्रस्त भूमि की सीमा को लेकर प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य विवाद बना रहता हैं। इसलिये प्रार्थी द्वारा पत्थरगढी कराने का निवेदन किया है। चूंकि प्रार्थना ग्रस्त भूमि प्रार्थी की खातेदारी है एवं प्रार्थी को अपनी भूमि की सीमाज्ञान करा पत्थरगढी कराने का पुरा अधिकार है। सीमा को लेकर पक्षकारों के मध्य विवाद है जो कि सीमाज्ञान होकर पत्थरगढी होने के पश्चात ही सुलझ सकता है। ऐसी स्थिति में विवाद समाप्ति के लिये प्रार्थनाग्रस्त भूमि की पत्थरगढी कराया जाना न्यायहित में आवश्यक प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाता हैं।

–: आदेश :–

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू. राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा वासनीमाफी पटवार हल्का फतहनगर की आराजी नम्बर 208, 215, 221, 223, 585 किता 5 रकबा 4 बीघा 19 बिस्वा एवं आराजी नम्बर 227, 228, 613, 619, 747 किता 5 रकबा 3 बीघा भूमि के चारो दिशाओं की पत्थरगढी कर सीमाकंन कराया जावें। पत्थरगढी हेतु तहसीलदार मावली को 500/– पांच सौ रूपया कमिश्नर शूल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि दिनांक 08.01.20 को मौके पर उपस्थित होकर सभी पक्षकारान की उपस्थिति में पत्थरगढी कराई जाकर पालना प्रस्तुत करे। पालना हेतु तहसीलदार मावली को लिखा जावे। प्रार्थी व विपक्षीगण दिनांक 08.01.2020 को मौके पर पत्थरगढी हेतु उपस्थित रहे। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो। फीस कमिश्नर राशि का भूगतान प्रार्थी अदा करेगें। निर्णय खुले ईजलास लिखा जाकर सुनाया गया।

(अक्षय गोदारा IAS)
सहायक कलक्टर
(SDO)मावली

Signature Not Verified
Digitally signed by Akshay Godara
Date: 2020.01.28 15:39:07 IST
Reason: SelfAttested